

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 8 जून, 2010 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 40वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की चालीसवीं (40वीं) बैठक डॉ. राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 08 जून, 2010 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई।

2. प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

3. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 578 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 353 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि इस छोटी अवधि के दौरान के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 1,48,489 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 5,03,611 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान एसईजेड से कुल 220711 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है।

#### **मद संख्या 40.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सन्निकटता स्थापित करने पर दिशानिर्देश**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड नियमावली के अनुसार अनुमोदन बोर्ड सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान कर सकता है, परंतु अतीत में सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करते समय अनुमोदन बोर्ड ने इस बात का भी सुनिश्चय किया है कि उपयुक्त संरचनाओं का निर्माण करके सन्निकटता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा इन संरचनाओं के निर्माण के लिए कोई इयूटी फ्री सामग्री प्रदान नहीं की जा रही है। भूमि अधिग्रहण की प्रकृति एवं भूभाग को ध्यान में रखते हुए छोटे एसईजेड भी एसईजेड से गुजरने वाले आम रास्ता या वाटर चैनल के कारण सन्निकटता की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके अलावा संरचनाओं के निर्माण पर निवेश से परियोजना की लागत ही बढ़ती है तथा आर्थिक लाभप्रदता भी प्रभावित होती है। तदनुसार, 9 अप्रैल 2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि इस संबंध में नीति तैयार की जाए और अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत की जाए। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव में दो घटक हैं (क) सन्निकटता स्थापित करने पर बल नहीं दिया जाएगा यदि कोई सार्वजनिक उपयोग की सेवा जैसे कि सड़क, जलापूर्ति लाइन, सीवेज लाइन, ड्रेन, नहर या रेलवे लाइन एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र से गुजर रही है, और (ख) यदि विकासक सन्निकटता स्थापित करने के लिए किसी संरचना का निर्माण करना चाहता है, तो उसे यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा एसईजेड के अंग के रूप में अनुमोदित किया जा सकता है और इयूटी फ्री सामग्री के लिए पात्र होगा।

चर्चा के दौरान, राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने कहा कि जहां तक गैर प्रसंस्करण क्षेत्र से सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं के गुजरने पर सन्निकटता स्थापित न होने पर पहले विकल्प का संबंध है, यह उनको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार्य है। जहां तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इयूटी

फ्री सामग्री का संबंध है, निर्णय लिया गया कि अनुमोदन बोर्ड प्रत्येक मामले पर मेरिट के आधार पर विचार कर सकता है। राजस्व विभाग में उपयुक्त स्तरों पर समुचित अनुमोदन के बाद, अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक से पूर्व राजस्व विभाग इस संबंध में राय की पुष्टि करेगा।

#### **मद संख्या 40.2: निजी एसईजेड विकासकों / यूनिटों को आपूर्तियों के लिए ड्राबैंक के स्थान पर ड्यूटी की प्रतिपूर्ति**

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि सरकारी स्वामित्व वाले एसईजेड के संबंध में संबंधित क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क आयुक्तों ने एसईजेड विकासकों / यूनिटों के ड्यूटी ड्राबैंक के दावों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ चेक बुक जारी किए हैं। चूंकि निजी एसईजेड को क्षेत्राधिकारीय उत्पाद शुल्क आयुक्तों से संबद्ध किया गया है जो सीमा शुल्क आयुक्त नहीं हैं तथा ड्यूटी ड्राबैंक के लिए चेक जारी करने के लिए अधिकृत नहीं हैं क्योंकि वे ड्यूटी ड्राबैंक के लेखा प्रमुख के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए निजी एसईजेड / यूनिटों द्वारा समस्याओं का सामना किया जा रहा है। तथापि, वित्त मंत्रालय के प्रधान सीसीए के साथ मामले को उठाया गया है जो इस संबंध में शीघ्र ही अनुदेश जारी करेंगे। इस बीच सीबीईसी निकटतम सीमा शुल्क आयुक्तों को डीबीके आदि के लिए चेक बुक प्रदान करने की सलाह दी जाएगी।

#### **मद संख्या 40.3 : एसईजेड में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए यूनिट स्थापित करने की नीति**

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि नीति तैयार की जा रही है तथा शीघ्र ही अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

#### **मद संख्या 40.4 : एक एसईजेड से यूनिट को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में यूनिटों को शिफ्ट करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं तथा एसईजेड नियमावली में ऐसी शिफ्टिंग के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है और ऐसी शिफ्टिंग को रोकने के लिए भी कोई नियम नहीं है। एसईजेड के समेकन से यूनिटों की शिफ्टिंग की बारंबारता में वृद्धि हो सकती है तथा ऐसी शिफ्टिंग से निपटने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना आवश्यक हो गया है।

तीन प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं जहां शिफ्टिंग हो सकती है (क) यूनिट ने कोई गतिविधि शुरू नहीं की है (ख) यूनिट ने माल का आयात / प्रापण शुरू कर दिया है परंतु निर्यात नहीं शुरू किया है या उत्पादन नहीं शुरू किया है और (ग) यूनिट ने उत्पादन शुरू कर दिया है और निर्यात करना शुरू कर दिया है। पहले दो मामलों में सभी निगरानी के अधीन शिफ्टिंग को अनुमत करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है परंतु तीसरे मामले में माल के माइग्रेशन के संबंध में छूट प्राप्त करने के लिए आयकर अधिनियम के संगत प्रावधान लागू हो सकते हैं।

तदनुसार, समुचित विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में यूनियों की शिफ्टिंग के लिए सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया। तथापि, ऐसे प्रत्येक अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ रखना आवश्यक है।

**मद संख्या 40.5 : तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने इस मुद्दे पर प्रस्तुत रिपोर्ट का ध्यान से अनुशीलन किया। नोट किया गया कि प्रस्ताव कनवेंशन सेंटर शहर की सीमाओं के अंदर है। एसईजेड से तीन किलोमीटर की परिधि के अंदर अनेक होटल बन रहे हैं। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि अनुमोदन बोर्ड आईटी / आईटीईएस एसईजेड में होटल को मंजूरी प्रदान नहीं कर रहा है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई तो अन्य आईटी / आईटीईएस एसईजेड से इसी तरह की मांगें उत्पन्न होंगी। इसके अलावा, अनुमोदन बोर्ड शहरी क्षेत्रों में होटलों के प्रस्ताव को लगातार मंजूरी प्रदान नहीं कर रहा है तथा यह एसईजेड चेन्नई की शहरी सीमाओं के अंदर है जो अच्छी तरह विकसित क्षेत्र है। तमिलनाडु राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि प्रस्ताव कनवेंशन सेंटर और होटल संपूर्ण आईटी कोरिडोर को सेवा प्रदान करेंगे तथा इसी उद्देश्य से ट्रिल को भूखंड आवंटित किया गया है और यह शर्त रखी गई है कि विकासक द्वारा होटल सहित एकीकृत इंटरनेशनल कनवेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तथापि, अनुमोदन बोर्ड की यह राय थी कि ऐसी शर्तें अनुमोदन बोर्ड के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1	होटल को छोड़कर इंटीग्रेटेड कनवेंशन सेंटर (1500 सीटर)	28126	विकास आयुक्त द्वारा मात्रा का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद औपचारिक अनुमोदन पत्र जारी किया जाएगा।

**मद संख्या 40.6 : कार्रवाई क्षेत्र 2, न्यू कोलकाता टाउनशिप, राजरहाट, कोलकाता में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने वाली इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी 2010 को रद्द करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि यद्यपि 23 फरवरी 2010 को एसईजेड विमुक्त कर दिया गया है, विकासक द्वारा अधिसूचना को रद्द करने के लिए अनुरोध 23 अप्रैल 2010 को किया गया। कार्यालय स्थान के लिए मांग बढ़ने तथा कोलकाता में उनका एक मात्र आईटी / आईटीईएस एसईजेड

होने के कारण बड़े आईटी / आईटीईएस एसईजेड से पूछताछ प्राप्त होने के कारण अनुरोध को बहाल करने का अनुरोध किया गया है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने बताया कि एसईजेड में निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने रिक्ति पर विकास आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

**मद संख्या 40.7 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव**

**(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :**

1. नेलीकोड एवं पंडीरकावू गांव, कोझीकोड जिला, केरल में 10.121 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 40.7 - क्रमांक ii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 10.121 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम नेल्लीकोड एवं पांडीरकावू, कोझीकोड जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए केरल स्टेट इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, हेब्बल - हूटगल्ली, मैसूर, कर्नाटक में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 40.7 - क्रमांक vi) :

विकास आयुक्त ने बताया कि प्रस्तावित एसईजेड क्षेत्र में एक छोटी बिल्डिंग है जिसे एलएंडटी द्वारा हाउस ट्रेनिंग के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किया जा रहा है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, हेब्बल - हूटगल्ली, मैसूर, कर्नाटक में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि रिक्ति की शर्त पूरी होने के बाद ही एसईजेड अधिसूचित किया जाएगा।

**(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :**

1. नक्कापल्ली मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में 120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल बल्क / एपीआई / फर्मुलेशन के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ड्रग्स एंड फर्मास्युटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अनुरोध (मद संख्या 40.7 - क्रमांक i) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की है और यह भी कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 120 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नक्कापल्ली मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में फर्मास्युटिकल्स बल्क / एपीआई / फर्मलेसंश के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ड्रग्स एंड फर्मास्युटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**2. ग्राम लयाजा, राटाडीया, गोधरा, बयाथ और उनडोथ, तालुक मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात में 1112 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सीलैंड पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 40.7 - क्रमांक iii) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है और यह भी कि भूमि पर विकासक का आंशिक रूप से कब्जा है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 1112 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम लयाजा, राटाडिया, गोधरा, बयाठ एवं उंडोथ, तालुक मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स सीलैंड पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**3. ग्राम मोटा लयाजा, गोधरा और बयाथ, तालुक मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात में 580 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) स्थापित करने के लिए मैसर्स अवाश लाजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 40.7 - क्रमांक iv) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है और यह भी कि भूमि पर विकासक का आंशिक रूप से कब्जा है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 496 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम मोटा लयाजा, गोधरा एवं बयाठ, तालुक मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) स्थापित करने के लिए मैसर्स अवाश लाजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**4. 2025 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बर्गवान, जिला सिंगरौली (पूर्व में सिधी जिला), मध्य प्रदेश में एल्युमीनियम सेक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 40.7 - क्रमांक v) :**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है और यह भी कि भूमि पर विकासक का आंशिक रूप से कब्जा है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 2025 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बर्गवान, जिला सिंगरौली (पूर्व में सिधी जिला), मध्य प्रदेश में एल्युमीनियम सेक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

#### **मद संख्या 40.8: सह विकासक के लिए अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पैमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह नीचे उल्लिखित सह विकासकों के सभी मामलों पर लागू है :

(i) 12/1, सेक्टर 27डी, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स एस्पायर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एस्पायर इंफोसर्व प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने आईटी भवनों के विकास एवं निर्माण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एस्पायर इंफोसर्व प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ई सेंट्रिक सोल्यसंश प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 2.0234 हेक्टेयर (5 एकड़) के क्षेत्रफल में विद्युत, पानी, सीवेज, ग्रीनरी जैसी पूर्ण अवसंरचना तथा अन्य सामान्य सुविधाओं के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ई सेंट्रिक सोल्यसंश प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) नायडूपेट और पेल्लाकुरु मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स प्राइम इलेक्ट्रिक लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 40.47 हेक्टेयर (100 एकड़) के क्षेत्रफल में पूर्ण अवसंरचना के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स प्राइम इलेक्ट्रिक लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टवेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स श्री सी फेसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपकरण, सेवाओं एवं सामान्य क्षेत्रों के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स श्री सी फेसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(v) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत समुचित प्राधिकार के बगैर एसईजेड में क्रियाशील सीएफएस के संबंध में संपूर्ण मामले का समाधान होने तक वर्तमान प्रस्ताव को आस्थगित समझा जाए।

(vi) पाजीरू, कैरांगलस, मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 6.88 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सह विकासक के रूप में आईटी / आईटीईएस अवसंरचना प्रदान करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(vii) मुसालगांव एवं गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड में सड़क, जलापूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, ड्रेनेज, कारखाना भवन, आवासीय एवं वाणिज्यिक विकास सहित विभिन्न अवसंरचना सुविधाओं के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 40.9 : नागपुर, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुयोग रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त के जवाब पर विचार किया तथा मैसर्स सुयोग रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1	आवास एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 420 इवेलिंग यूनिट के साथ 10 टावर वाले टाइप ए अपार्टमेंट	22260	11130
2	आवासन एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 42 इवेलिंग यूनिट के साथ 1 टावर वाले टाइप बी अपार्टमेंट	2013.55	1007
3	आवासन एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 420 इवेलिंग यूनिट के साथ 15 टावर वाले टाइप सी अपार्टमेंट	25210.50	12605

**मद संख्या 40.10 : गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अतिथि गृह / सर्विस अपार्टमेंट के स्थान पर होटल के निर्माण के लिए मैसर्स मायर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने कार्य प्रवास की विश्व स्तरीय सुविधा की आवश्यकता को ध्यान में रखकर होटल के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि पहले संस्वीकृत किए गए सर्विस अपार्टमेंट और अतिथि गृह सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए तथा होटल की आवश्यकता नहीं बनती है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने कहा कि यह एसईजेड गुड़गांव से 35 किलोमीटर दूर है। प्रस्तावित होटल से न केवल वर्तमान एसईजेड की आवश्यकताएं पूरी होंगी अपितु अन्य एसईजेड की आवश्यकताएं भी पूरी होंगी जो अधिसूचित किए जा चुके हैं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लिखित मात्रा के अनुसार होटल स्थापित करने के प्रस्ताव पर के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	होटल (100 कमरे)	37000	एफएआर के रूप में 100 प्रतिशत रखते हुए गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 10000 वर्गमीटर या फ्लोर स्पेस का 55 प्रतिशत, जो भी कम हो।



इस अनुमोदन से अतिथि गृह / सर्विस अपार्टमेंट के पिछले अनुमोदन को वापस लिया गया समझा जाए। इसके अलावा, विकास आयुक्त और राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों की टीम इस बात की संतुष्टि के लिए साइट का दौरा करेगी कि विकासक द्वारा प्रस्तुत आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रस्ताव मंजूर किया गया है।

**मद संख्या 40.11 : डीएलएफ साइबर सिटी, गुडगांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध**

एजेंडा से मद वापस ले ली गई तथा फाइल पर जांच की जाएगी।

**मद संख्या 40.12 : तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए मैसर्स सीसीसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रस्तावित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला प्रसंस्करण क्षेत्र में है जो डीटीए ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकती है। बेहतर होगा कि यदि वे डीटीए ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करना चाहते हैं तो अवसंरचना की बजाए यूनिट के रूप में आएं। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सुझाव दिया कि लाभप्रदता स्थापित होने तक उनको आय अर्जन यूनिट के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में डीटीए क्षेत्र से प्राप्त खाद्य सैंपल का विश्लेषण किया जाएगा और केवल डीटीए क्षेत्र को परीक्षण रिपोर्टें भेजी जाएंगी। वे किसी आयकर / सेवा कर लाभ का दावा नहीं करेंगे। यद्यपि डीटीए ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संभावित सन सेट क्लाइंट के साथ प्रस्ताव पर विचार किया गया परंतु राजस्व विभाग ने बताया कि ऐसे अनुमोदन के लिए आधार का स्पष्ट रूप से उल्लेख किए बगैर प्रस्ताव से सहमत होना उनके लिए कठिन होगा। तदनुसार, प्रस्ताव को आस्थगित करने तथा फाइल पर उसकी जांच करने का निर्णय लिया गया।

**मद संख्या 40.13 : केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा आवासीय अपार्टमेंट के प्रयोग की शर्त में छूट के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा आवासीय अपार्टमेंट के प्रयोग की शर्त से छूट प्रदान करने के लिए विकासक के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान नहीं की गई।

**मद संख्या 40.14 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध**

(i) बोलपुर, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स शांतिनिकेतन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने बोलपुर, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स शांतिनिकेतन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(ii) पोवई, मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने पोवई, मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(iii) ग्राम कट्टिजेनहल्ली और वेंकटाला, येलहांका होबली, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट स्थापित करने के लिए मैसर्स गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन वापस लेना

विकासक द्वारा औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के अनुरोध को वापस ले लिया गया।

**मद संख्या 40.15 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध**

(i) शोलिंगनल्लूर, तांबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने शोलिंगनल्लूर, तांबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी इयूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

(ii) जगटाला और बांगला गांव, दक्षिण 24 पगरना जिला, पश्चिम बंगाल में आईटी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने जगटाला और बांगला गांव, दक्षिण 24 पगरना जिला, पश्चिम बंगाल में आईटी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

#### **मद संख्या 40.16 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड के ध्यान में लाया गया कि एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती से संबंधित अनुरोधों को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष तब लाने की आवश्यकता होती है जब न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखे गए प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करते समय अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि भविष्य में अधिसूचित क्षेत्र में 10 प्रतिशत की वृद्धि / कटौती वाले अनुरोधों को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष तब तक लाने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि क्षेत्रफल में परिवर्तन से न्यूनतम एवं संस्पर्शी भूमि की आवश्यकता पूरी होती है। उपर्युक्त श्रेणी में न आने वाले सभी मामलों को विचारार्थ अनुमोदन बोर्ड के समक्ष लाया जाना चाहिए।

#### **(i) बेहरामपुर गांव, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में 4.88156 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि और एसईजेड से 2.16009 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 21.59005 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में सेवा कर छूट सहित एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है।

#### **(ii) परंगालातुर गांव, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 5.03 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त से इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने विमुक्त की जाने वाली भूमि के संबंध में सेवा कर छूट सहित

सभी कर / इयूटी लाभ वापस कर दिए हैं जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं।

(iii) मामबट्टू गांव, टाडा मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में फुटवियर के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स अपाचे एसईजेड डवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 56.4 एकड़ (22.825 हेक्टेयर) भूमि के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स अपाचे एसईजेड डवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त से इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने विमुक्त की जाने वाली भूमि के संबंध में सेवा कर छूट सहित सभी कर / इयूटी लाभ वापस कर दिए हैं जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं।

(i) हिंदूपुर, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में परिधान के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स नियोजेन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (09 अप्रैल, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड से 100.84 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स नियोजेन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त से इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने विमुक्त की जाने वाली भूमि के संबंध में सेवा कर छूट सहित सभी कर / इयूटी लाभ वापस कर दिए हैं जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं।

(v) मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स विवो बायोटेक लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के अधिसूचित क्षेत्रफल में 5.26091 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स विवो बायोटेक लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 16.18742 हेक्टेयर हो जाएगा।

(vi) कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल में 2.5 हेक्टेयर की वृद्धि करके क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**मद संख्या 40.17 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध**

(i) जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शमशाबाद, हैदराबाद में अपने औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड का सेक्टर 'एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद' से बदलकर 'बहु सेवा' करने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर को "एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद" से बदलकर "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के साथ बहु सेवा" करने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) अहमदाबाद, गुजरात में अधिसूचित एसईजेड का सेक्टर 'परिधान' से बदलकर 'वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुएं' करने के लिए गुजरात औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम का अनुरोध

गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि अधिसूचित एसईजेड गुजरात सरकार के पूर्णतः स्वामित्व वाला उपक्रम है। इस एसईजेड में स्थापित परिधान यूनितें डीटीए यूनितों की तुलना में अलाभप्रद हैं और जब तक सभी यूनितें मौजूद हैं तब तक एसईजेड को विमुक्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपेक्षित सहूलियत स्तर प्रदान करने के लिए, सेक्टर को 'परिधान' से बदलकर 'वस्त्र एवं वस्त्र की वस्तुएं' करने के लिए अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि यह अनुबंध 2 का मामला है जहां न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता मात्र 38 हेक्टेयर है और एसईजेड नियमावली में संशोधन के बिना विकासक के अनुरोध के अनुसार सेक्टर बदलने पर विचार नहीं किया जा सकता है।

**मद संख्या 40.18 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित विकासकों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) गुड़गांव, हरियाणा में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

(ii) जामिन, पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) खोपोली, देवनहाले गांव, खालापूर तालुक, रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील लिमिटेड का अनुरोध

(iv) ग्राम निमेता, जिला वडोदरा, गुजरात में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स निपियम इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) ग्राम विलायत, तालुक वागरा, जिला भडूच, गुजरात में रसायन (कृषि आधारित) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बायोटॉर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स जयंत ऑयल्स एंड डेरिवेटिव्स लिमिटेड) का अनुरोध

(vi) टिकरी गांव, गुडगांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनितेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

(vii) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनितेक इंफ्राकॉन लिमिटेड का अनुरोध

(viii) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-ए के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ix) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-बी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-सी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 नवंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xi) ग्वाल पहाड़ी गांव, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xii) श्रीपेरम्बदूर, तमिलनाडु में आईटी / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स फाक्सकॉन इंडिया डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xiii) एन्नोर, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

(xiv) केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स किनफोटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xv) गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 दिसंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड का अनुरोध

(xvi) मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बीए टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xvii) ग्राम मुसलगांव तथा गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

(xviii) सेरलिंगमपल्ली, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवयुग लेगाला एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xix) हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इंटरनेशनल बायोटेक पार्क का अनुरोध

(xx) उडुपी कंकसा, पानगढ़, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

**मद संख्या 40.19 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित मामलों में से प्रत्येक के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) बल्लानडुर अमानी काणे, एयरपोर्ट रोड के विपरीत, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स दिव्यश्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) ए-III, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बढ़ाने के लिए मैसर्स बंगाल शपूरजी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स सेलेक्टो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स हरियाणा टेक्नोलॉजी पार्क) का अनुरोध

(iv) ग्राम सिकारपुर, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 अप्रैल, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स लक्सर साइबर सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स क्लैरिज एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

(vi) ग्राम हिंजेवाड़ी, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक



अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vii) सिरुसेरी, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस लिमिटेड का अनुरोध

(viii) उप्पल, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ix) जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स वाटिका जयपुर एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

(x) वाजुज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 6 अप्रैल, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स बजाज होल्डिंग्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

(xi) गुडगांव, हरियाणा में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 अप्रैल, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स उप्पल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xii) केआर पुरम, बंगलौर उत्तर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

**मद संख्या 40.20 : सह विकासकों की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित सह विकासकों के मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) त्रिक्कारा गांव, कन्यान्नूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में

एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए सह विकासक मैसर्स नेस्ट हाइटेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

**मद संख्या 40.21 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध**

(i) कांडला, गुजरात में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सिगरुन मेगा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने कांडला, गुजरात में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की तिथि से अर्थात् 20 अक्टूबर 2009 से पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सिगरुन मेगा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

**मद संख्या 40.22 : सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाना**

अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित प्रस्तावों के संबंध में पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाई :

- (i) जिला झज्जर, हरियाणा में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड (15 फरवरी, 2011 से)
- (ii) प्रकासम एवं नेल्लोर जिला के बीच एनएच-5, आंध्र प्रदेश में भवन सामग्री के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स साउथ कोस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड (स्किडकैप) (26 जून 2010 से)

**मद संख्या 40.23 : प्लास्टिक प्रसंस्करण यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

(i) केएएसईजेड, गांधीधाम में क्रियाशील प्लास्टिक रिसाइक्लिंग यूनिटों के संबंध में मंजूरी पत्र के नवीकरण / अवधि बढ़ाने के लिए केएएसईजेड का अनुरोध

(ii) एफएसईजेड में यूनिट मैसर्स प्रिंसीजन पोलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी का नवीकरण

(iii) मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा एसईजेड में यूनिट के संबंध में अगले 5 वर्षों के लिए एलओए का नवीकरण

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से एक साल की अगली अवधि के लिए उपर्युक्त यूनिटों के एलओए की वैधता अवधि इस शर्त के अधीन

बढ़ाई कि यूनिटों को एसईजेड में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिटों के संबंध में अंतिम नीति, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, का पालन करना होगा।

**मद संख्या 40.24 : चीनी / कच्ची चीनी के भंडारण और व्यापार (आयात / निर्यात) के लिए एमपीएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स रेणुका एग्रीवेंचर लिमिटेड का अनुरोध**

प्रस्ताव पर विचार करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपने निर्णय को आस्थगित कर दिया क्योंकि जिस वस्तु पर विचार किया जा रहा है वह डीटीए क्षेत्र के लिए संवेदनशील है तथा अंतर्राष्ट्रीय वस्तु बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए यूनिट लाभप्रद नहीं हो सकती है। तदनुसार, विकास आयुक्त मामले के सभी पहलुओं की जांच करेंगे तथा अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

**मद संख्या 40.25 : टूटे - फूटे / प्रयुक्त पुनर्चक्रणीय उत्पाद मिश्रण असेसरीज अर्थात बेल्ट, पर्स, बैकपैक, साफ्ट टॉय, हार्ड टॉय को शामिल करने की अनुमति प्रदान करने हेतु ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स मारुती एक्सपोर्ट्स का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने बताया कि इस प्रस्ताव को अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है और तदनुसार निदेश दिया कि मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

**मद संख्या 40.26 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील**

(i) यूनिट का एलओपी निरस्त करने के लिए अनुमोदन समिति, आईएसईजेड के आदेश दिनांक 23 दिसंबर 2009 के विरुद्ध आईएसईजेड की यूनिट मैसर्स न्यू टेक अब्रेसिव लिमिटेड की अपील

(ii) यूनिट का एलओपी निरस्त करने के लिए अनुमोदन समिति, आईएसईजेड के आदेश दिनांक 23 दिसंबर 2009 के विरुद्ध आईएसईजेड की यूनिट मैसर्स न्यू टेक पाइप्स लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि दोनों अपीलों एक ही फर्म से संबंधित हैं जिसमें अपील यूनिटों के एलओपी के निरसन के विरुद्ध है। फर्म ने उच्च न्यायालय में एसईजेड की कार्रवाई को चुनौती दी है, जिसने निदेश दिया है कि अनुमोदन बोर्ड को अपीलों का निर्धारण करना चाहिए।

विकास आयुक्त, आईएसईजेड ने कहा कि 23 दिसंबर 2009 को यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक हुई तथा उत्पाद / सीमा शुल्क का भुगतान न करने, वैट / सीएसटी / प्रवेश कर का भुगतान न करने तथा बिजली की चोरी करने के आधार पर फर्म के एलओपी को निरस्त करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

यूनिटों के प्रतिनिधि ने बताया कि दोनों यूनिटों के एलओपी को केवल आरोपों के आधार पर तथा किसी दस्तावेजी साक्ष्य के बगैर निरस्त किया गया है। एक भी आरोप सही नहीं है।

विचार विमर्श के बाद तथा मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के आदेश संख्या 2747/10/2010 और 2748/10/2010 के अनुपालन में अनुमोदन बोर्ड ने कार्रवाई पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामलों एवं अपीलों को वापस यूनिट अनुमोदन समिति के पास भेज दिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि समुचित रूप से विचार विमर्श करने के बाद तथा अपने मामलों को प्रस्तुत करने के लिए अपीलकर्ताओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद यूनिट अनुमोदन समिति विचारित सकारण आदेश पारित करेगी जो समुचित विधिक प्रलेखन पर आधारित होना चाहिए। इसलिए इस संबंध में कोई अग्रेतर अनुवर्तन यूनिट अनुमोदन समिति तथा आईएसईजेड के विकास आयुक्त पर निर्भर है।

#### **मद संख्या 40.27 : संस्पर्श में छूट**

(i) संस्पर्श तथा अनेक प्रवेश / निकास द्वारों के संबंध में एलओए की शर्तों में ढील देने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राजस्व विभाग ने बताया कि चूंकि क्षेत्रीय मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई क्षेत्र 2 के साथ मामले को उठाया गया है इसलिए इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट आवश्यक है। इसलिए राजस्व विभाग ने रिपोर्ट प्राप्त होने तक आस्थगित करने का अनुरोध किया, जो दो सप्ताह की अवधि के अंदर प्राप्त हो सकती है। तदनुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

#### **मद संख्या 40.28 : अनुमोदन बोर्ड द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन**

(i) एपीआईआईसी द्वारा महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल फार्मुलेशन के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी से अवगत कराने वाले एलओए दिनांक 22 दिसंबर 2009 में संशोधन के लिए मैसर्स हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में एलओए दिनांक 22 दिसंबर 2009 के माध्यम से अनुमोदित अधिकृत प्रचालन के संचालन के लिए विकासक को प्रदान किए गए अनुमोदन को नोट किया था।

(ii) रामदासपुर, कटक जिला, ओडिशा में एसईजेड के वर्तमान सेक्टर "सोलर पीवी" से "पीवी" शब्द हटाने के लिए मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने रामदासपुर, कटक जिला, ओडिशा में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के वर्तमान सेक्टर "सोलर पीवी" से "पीवी" शब्द हटाने के निर्णय की पुष्टि की।

## पूरक एजेंडा पर निर्णय

### मद संख्या 40.1 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के प्रस्तावों पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान करते समय ये 24 अक्टूबर 2008 को आयोजित ईजीओएम बैठक द्वारा अनुमोदित विकास दिशानिर्देश के अधीन थे जिन्हें 8 दिसंबर 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया। तदनुसार, विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकृत प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(i) सेक्टर 106, पावला खुसरूपुर ग्राव, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एयरमिड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लिखित के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	हाउसिंग यूनिट्स / आवासीय (660 इवेलिंग यूनिट्स)	68627	30000
2.	वाणिज्यिक / प्रौद्योगिकी से संबंधित सुविधाएं 1. कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि क्रेच, सुविधा प्रबंधन, प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय, मल्टी ऐक्टिविटी सेंटर 2. डाइनिंग की सुविधाओं, हाउस कीपिंग की सुविधाओं, बिजनेस सेंटर, ट्रैवल डेस्क आदि सहित सर्विस अपार्टमेंट	16206	7500
3.	वाणिज्यिक 1. वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान 2. सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कि : फूड सर्विस जिसमें कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं, किचन,	10000	

	शौचालय एवं विश्राम कक्ष शामिल हैं। बुनियादी सुविधा स्टोर, गोसरी, स्टेशनरी स्टोर, सामान्य सुविधा स्टोर, बैंक, एटीएम, डाक घर, कूरियर की सुविधाएं। स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएं / चिकित्सा केन्द्र जैसे कि क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मसी आदि		
4.	मनोरंजक सुविधाएं : जैसे क्लब हाउस, इंडोर / आउटडोर गेम्स, बाल गतिविधि केन्द्र एवं जिम	3499	3499
5.	शिक्षा की सुविधाएं : (स्कूल / तकनीकी संस्थान / शैक्षिक संस्थान)	2000	2000

(ii) 12/1, सेक्टर 27डी, औद्योगिक क्षेत्र, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एस्पायर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लिखित के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	प्रस्तावित प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	आवासीय अपार्टमेंट	10000	10000
2.	वाणिज्यिक	22000	7500
	रिटेल	5500	
3.	आवासीय अपार्टमेंट	10000	10000
4.	सुविधा ब्लॉक		
	(i) क्लब हाउस	7000	7000
	(ii) व्यवसाय केन्द्र	1800	1800
	(iii) जिम	1800	1800
	(iv) बैंक / एटीएम	1400	1400
	(v) क्लीनिक / मेडिकल सेंटर	500	500

(iii) मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा ग्राम मुसालगांव एवं गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकास रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लिखित के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	कार्यपालकों एवं गैर कार्यपालकों लिए मकान, जीएम बंगला, अतिथि गृह तथा अन्य डुपलेक्स बंगला जिसमें टाउनशिप के लिए लाइटिंग एवं विद्युत कार्य, क्षेत्र विकास, सड़क, ड्रेन, चारदीवारी, गेट कम्प्लेक्स, कम्प्युनिटी सेंटर, क्लब हाउस, हेल्थ सेंटर, स्वीमिंग पूल, एरिया लाइटिंग, सब स्टेशन डीजी सेट, पावर एवं टेलीफोन केबल की आपूर्ति एवं बिछाना, वाटर पंप हाउस, वाटर स्टोरेज टैंक, वाटर लाइन वितरण नेटवर्क, खेल का मैदान, बागवानी, पार्क एवं लान, निस्सारी शोधन संयंत्र, सीवेज शोधन संयंत्र पैकेज शामिल हैं।	100000	100000
2.	राख उपयोग एवं सज्जीकरण जैसे कि ब्रिक और ईट निर्माण प्लांट	2.5	2.5*

\* यह इस शर्त के अधीन होगा कि विकासक थर्मल राख से बनी ईंटों और ग्लासों का व्यापार डीटीए क्षेत्र में नहीं करेगा।

स्वास्थ्य केन्द्र के लिए चिकित्सा उपकरण, फर्नीचर, दवाओं के लिए विकासक के अनुरोध पर अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(iv) ग्राम संधाल, तालुक सनंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मायरॉन रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने नीचे सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

विकास आयुक्त, केएसईजेड द्वारा पुष्टि के बाद अंतिम मंजूरी पत्र जारी किया जाएगा।

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	ग्राह्य मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	आवासीय अपार्टमेंट	75419.85	46613	46613
2.	रिटेल / कामर्सियल बिल्डिंग	2246.59	11653.39	2246.59
3.	सुविधा भवन	475.99	19422	475.99

मद संख्या 40.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) जयपुर, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 7.0455 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

\*\*\*\*\*



## अनुबंध 1

वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 8 जून, 2010 को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1. श्री राहुल खुल्लर, बीओए अध्यक्ष एवं सचिव, वाणिज्य विभाग
2. श्रीमती प्रवीण महाजन, महानिदेशक (डीजी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
3. श्री रमन चोपड़ा, निदेशक (आईटीए), सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
4. श्री गुरदीप सिंह, अपर निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
5. डॉ. एल बी सिंघल, डीजी, ईओयू एवं एसईजेड की निर्यात संवर्धन परिषद
6. श्री बी सैम बाब, प्रधान सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश सरकार
7. श्री के आर अंजन, प्रधान सचिव उद्योग, तमिलनाडु सरकार
8. श्री रवि इंदर सिंह, निदेशक, गृह मंत्रालय
9. श्री मंजूनाथ गोंडा, रेजिडेंट डायरेक्टर, कर्नाटक उद्योग मित्र, कर्नाटक भवन - 3, खेलगाँव मार्ग, नई दिल्ली
10. श्री वीरेन्द्र सिंह, उप निदेशक (एसईजेड), वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़
11. श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, सहायक निदेशक (ईपीएंडडब्ल्यूटीओ), एमएसएमई मंत्रालय, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
12. श्री डी एस चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, एमपीएसआईडीसी, 122, अरबिंदो प्लेस, हौज खास, नई दिल्ली- 110016
13. श्री भाष्कर खुलबे, सलाहकार, उद्योग, पश्चिम बंगाल सरकार, सी-291, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली- 24
14. श्री अरविंद अग्रवाल, उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गुजरात औद्योगिक विकास निगम
15. श्री नरेश कुमार धीरन, कस्बा एवं नगर योजनाकार, टीसीपीओ, माउड, 'ई' ब्लॉक, विकास भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली
16. श्री आर पी चौहान, अनुभाग अधिकारी, प्रवासीय भारतीय मामले मंत्रालय

## विकास आयुक्तों की सूची

17. श्री अजय मित्तल, विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड, चेन्नई
18. श्रीमती माया डी केम, विकास आयुक्त, एमपीएसईजेड मद्रा, गुजरात
19. श्री एम एस राव, विकास आयुक्त, वीएसईजेड, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
20. श्री अरुण कुमार बिट, विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड, कोलकाता
21. श्रीमती अनीता अग्निहोत्री, विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड, मुंबई
22. श्री सुरेश चंद्र पांडा, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड, उत्तर प्रदेश
23. श्री सी जे मैथ्यू, विकास आयुक्त, सीएसईजेड, कोचीन
24. श्री विजय शेवाले, विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड, सूरत

25. श्री एस किशोर, विकास आयुक्त, एपी एसईजेड
26. श्री के एल शर्मा, विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड, गुजरात
27. श्री उपेंद्र वशिष्ठ, विकास आयुक्त, रिलायंस एसईजेड, जामनगर, गुजरात
28. श्री एस एन पाटिल, संयुक्त विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड
29. श्री ए के राठौर, संयुक्त विकास आयुक्त, आईएसईजेड, इंदौर, मध्य प्रदेश
30. श्री सीवीडी रामप्रसाद, निदेशक, एसटीपीआई (आईटी / आईटीईएस), एसईजेड, नोएडा
31. श्री जे पार्थसारथी, निदेशक, एसटीपीआई (आईटी / आईटीईएस), एसईजेड, चेन्नई, तमिलनाडु
32. श्री पी वेनूगोपाल, निदेशक, एसटीपीआई, विकास आयुक्त (आईटी / आईटीईएस), हैदराबाद आंध्र प्रदेश
33. श्री एस के अग्रवाल, निदेशक, एसटीपीआई, विकास आयुक्त (आईटी / आईटीईएस), एसईजेड महाराष्ट्र
34. श्री आर राजलक्ष्मी, निदेशक, एसटीपीआई एवं विकास आयुक्त, बंगलौर, कर्नाटक
35. श्री पी के दास, निदेशक एसटीपीआई एवं विकास आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र, गुवाहाटी, असम
36. श्री अजय शर्मा, विकास आयुक्त, आईटी / आईटीईएस एसईजेड, गुजरात
37. श्री कमलेश कुमार, विकास आयुक्त, आईटी / आईटीईएस एसईजेड, केरल

#### वाणिज्य विभाग के प्रतिभागियों की सूची

38. श्री डी के मित्तल, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग
39. श्री अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
40. श्री टी श्रीनिधि, निदेशक, वाणिज्य विभाग
41. श्री आर के पांडे, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
42. श्री जी मुथुराजा, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
43. श्री विनोद कुमार, अनुभाग अधिकारी, एसईजेड अनुभाग, वाणिज्य विभाग
44. श्री अचिंत कुमार, अनुभाग अधिकारी, एसईजेड अनुभाग, वाणिज्य विभाग

\*\*\*\*\*